

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11036 / 5052

दिनांक :- 04/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री सोना कुमारी [लिंक न. 11036] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर - [6341] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 31/07/2018 से 03/08/2018 तक 04 दिवस

दिनांक 18/12/2018 से 21/12/2018 तक 04 दिवस

दिनांक 21/01/2019 से 23/01/2019 तक 03 दिवस

दिनांक 09/04/2019 से 12/04/2019 तक 04 दिवस

दिनांक 25/04/2019 से 04/06/2019 तक 41 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

दिनांक 11/06/2019 से 20/06/2019 तक 10 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 66 दिवस

उक्त कुल 66 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री सोना कुमारी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11036 / 5052

दिनांक :- 04/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री सोना कुमारी [11036] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)